पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1545/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक : 07.10.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2025 को आयोजित 103वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 103.25 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई एवं 01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुये पेन्शन की गणना किये जाने सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1/264478/2024/XXVII(7)/E-44768/2024 दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अंगीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 1545/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

1/264478/2024

संख्याः /XXVII (7)/E-44768/2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—07, देहरादून, दिनांकः31, दिसम्बर, 2024।

विषयः—दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार के अनेक अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होते हैं, इनमें ऐसे सरकारी सेवक भी सम्मिलित होते है , जिनके द्वारा एक ही वेतन स्तर पर उक्त तिथि को 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली जाती है एवं जिन्हें यथास्थिति कमशः 01 जुलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि अनुमन्य होती है परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती क्योंकि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात 30 जून/31 दिसम्बर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते है।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया गया है कि चूंकि उक्त कर्मचारी वेतनवृद्धि के उपरान्त 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते है, अतः उन्हें वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किये गए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt) दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से CIVIL APPEAL No. 2471 of 2023 (SLP(C) No. 6185/2020) The Director (Admn. and HR) KPTCL & Ors (s) ... Vs C.P. Mundinamani & Ors में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06 सितम्बर, 2024 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले अपने ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन वेतनवृद्धि निर्धारित थी, को पेंशन की गणना हेतु नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के आदेश कर दिये गये है।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई एवं 01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक

नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना की जाय। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतन वृद्धि को नही लिया जायेगा।

इस निर्णय से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2023 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष के 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्वि देय थी। परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 29-12-2024 15:15:11
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या : : / XXVII (7)E-44768/2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4- सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5- निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- निदेशक,कोषागार, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Ganga Prasad
Date: 31-12-2024 12:57:09
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।